प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 24.07.2026**

थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 12.06.2026 को वादी द्वारा थाना रसूलाबाद पर तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिक पुत्री को प्रदीप उर्फ कल्लू यादव पुत्र कोमल सिंह निवासी ग्राम कुडरी, थाना सहायल, जनपद औरैया, बहला फुसलाकर ले गया है, जिसके संबंध में थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम प्रदीप उर्फ कल्लू यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/87 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त प्रदीप उर्फ कल्लू यादव उपरोक्त को आज दिनांक 24.07.2026 को कठारा मोड़ थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

प्रदीप उर्फ कल्लू यादव पुत्र कोमल सिह निवासी ग्राम कुडरी, थाना सहायल, जनपद औरैया, उम्र लगभग 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार सिंह
2. रि0का0 1160 अतुल कुमार
3. रि0का0 920 लाखन सिंह